झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

संकल्प

विषय : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् कार्य किए हुए श्रमिकों को राज्य मद से अनुग्रह राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् कार्य करने वाले श्रमिकों को वर्तमान में किसी भी प्रकार की बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के तहत् कार्यरत श्रमिक राज्य के निर्धनतम परिवार के लोग हैं। ऐसे किसी श्रमिक की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची – 2 के अनुच्छेद – 26 के अन्तर्गत् कार्यस्थल पर योजना के अन्तर्गत् कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अनुग्रह अनुदान की राशि पच्चीस हजार रूपये अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस राशि का भुगतान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत् उपलब्ध राशि से ही किया जाता है। परन्तु कार्य–स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अथवा कार्य से भिन्न किसी अन्य समय पर ऐसे श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर किसी प्रकार का अनुग्रह अनुदान अथवा बीमा की योजना सम्प्रति नहीं है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्रांक– J-11060/11/2006-NREGA दिनांक 30.7.2008 एवं अ0स0पत्र सं0– J-11060/11/2006-NREGA दिनांक– 26.8.2008 के द्वारा जनश्री बीमा योजना के तहत ऐसे श्रमिकों; जिन्होंने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् कम से कम 15 दिनों का कार्य किया है, को प्रति वर्ष जनश्री बीमा योजना का लाभ देने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

3. वर्णित स्थिति के मद्देनजर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु के जिन मजदूरों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में कम–से–कम 15 दिनों तक महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् कार्य किया गया है, उनका उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) अथवा अंग भंग हो जाने पर निम्न प्रकार से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान उनके वैध उत्तराधिकारियों/ दुर्घटना से पीड़ित श्रमिक को किया जायगा :–

क. दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) होने अथवा स्थायी रूप से विकलांग/ अंग भंग होने पर राशि रूपये 75,000.00 (पचहत्तर हजार रूपये),

ख. दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर राशि रूपये 37,500.00 (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) और

ग. सामान्य मृत्यु होने पर राशि रूपये 30,000.00 (तीस हजार रूपये)

4. दुर्घटना के सम्बन्ध में विस्तृत स्थानीय जाँच एवं विधिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए राशि का भुगतान घटना के घटित होने के पंद्रह दिनों के अन्तर्गत् उपायुक्त के द्वारा किया जायगा; जिसकी स्वीकृति के लिये उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक ही सक्षम पदाधिकारी होंगे।

29.7.2011

5. अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा राज्य बजट से उपलब्ध करवायी गयी निधि अथवा यथानिर्देशित राशि से किया जायगा। राशि की अनुपलब्धता की स्थिति में Revolving Fund में संचित राशि से तत्काल भुगतान किया जायगा। अनुग्रह अनुदान मद के अन्तर्गत् राशि उपलब्ध होने पर Revolving Fund से भुगतान की गयी राशि को पुनः Revolving Fund में जमा कर दिया जायगा।

6. इस अनुग्रह अनुदान का लाभ संकल्प के निर्गमन के पश्चात् हुई मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण हुए विकलांगता के लिये अनुमान्य होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

29.7.2011

(राज मोहन तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः— 4—1010(NREGA)/10/ग्रा0वि0— 4716 राँची/ दिनांक— 01.8.11

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधरण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राजकीय गजट के प्रकाशनोपरान्त उक्त अंक की 500 प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

29.7.2011

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः— 4—1010(NREGA)/10/ग्रा0वि0— 4716 राँची/ दिनांक— 01.8.11

प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखण्ड, पो0—हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.2011

सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागध्यक्ष/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.2011

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः— 4—1010(NREGA)/10/ग्रा0वि0— 4716 राँची/ दिनांक— 01.8.11

प्रतिलिपि— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ उपायुक्त—सह—जिला कार्यक्रम समन्वयक/ उप विकास आयुक्त/ जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.2011

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः— 4—1010(NREGA)/10/ग्रा0वि0— 4716 राँची/ दिनांक— 01.8.11

प्रतिलिपि— निदेशक (मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.2011

सरकार के उप सचिव।